Janki Devi Bajaj Government Girls College, Kota

Self-Study Report
Criterion 5
5.1.4: The institution adopts the following for the redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases

S.NO.	Content	Page no.
1	Proof for implimentation of guidelines of statutory/ regulatory bodies	1 - 10

SANJAY BHARGAVA
Digitally signed by SANJAY BHARGAVA
Date: 2023.05.06 12:02:12 +05'30'

S.1.5 S.1.4

कार्यालय प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा

क्रमांक वार्षिक समिति / जा दे ब / 2021 / 4995 दिनांक 17.08.2021

संशोधित कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4908–09 दिनांक 07.08.2021 के द्वारा वार्षिक समितियों का गठन किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए महाविद्यालय में सत्र 2021–22 में शैक्षणिक एवं सह–शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारु संचालनार्थ संकाय सदस्यों की निम्नांकित समितियां गठित की जाती है। समिति के सभी प्रभारियों एवं सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना–अपना कार्य पूर्ण निष्ठा व लगन से करेंगे। समिति प्रभारी अपना चार्ज गत् वर्ष के सम्बन्धित प्रभारी से प्राप्त करें।

1. संकाय परिषद सचिव –
   1. श्रीमती मधु खन्ना – प्रभारी

2. एपेक्स समिति –
   1. श्रीमती मधु खन्ना – वित्त एवं स्टोर
   2. डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव – अकादमिक
   3. डॉ. विनिता कौशिक – सह शैक्ष. व छात्रवृति

3. अधिकारी / कर्मचारी उपस्थिति सत्यापन समिति–
   1. श्रीमती मधु खन्ना

4. महाविद्यालय विकास समिति–
   1. श्रीमती मधु खन्ना – सचिव
   2. डॉ. स्मृति जौहरी – कोषाध्यक्ष

5. आन्तरिक विकास समिति–
   1. डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव – प्रभारी
   2. डॉ. फातिमा सुल्ताना
   3. डॉ. रेनू त्यागी
   4. श्री विकास जांगिड

6. अनुशासन समिति–
   1. डॉ. विनिता कौशिक – प्रभारी
   2. डॉ. संगीता सिंह
   3. डॉ. रेनू त्यागी
   4. श्री विकास जांगिड

7. क्रय एवं निविदा समिति –
   1. श्रीमती मधु खन्ना – प्रभारी
   2. डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव
   3. डॉ. फातिमा सुल्ताना
   4. डॉ. रेनू त्यागी
   5. डॉ. विजय देवड़ा
   6. श्री विकास जांगिड
   7. सहायक लेखाधिकारी
   8. स्टोर इंचार्ज

8. Gem पोर्टल समिति–
   1. डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव – प्रभारी
   2. ~~डॉ. विजय देवड़ा~~
   3. डॉ. पूनम जायसवाल

9. महाविद्यालय स्टोर समिति –
   1. डॉ. सरस्वती अग्रवाल – प्रभारी
   2. डॉ. स्मृति जौहरी
   3. ~~सुश्री प्रीती बैरवा~~
   4. श्री विकास जांगिड

10. भवन निर्माण व रख–रखाव समिति –
    1. डॉ. आरती शाह – प्रभारी
    2. डॉ. मनीषा शर्मा
    3. डॉ. अल्पना जौहरी
    4. सुश्री प्रीती बैरवा
    5. श्री विकास जांगिड
    6. सहायक लेखाधिकारी
    7. स्टोर इचार्ज

11. साहित्यिक / सांस्कृतिक मंच समिति –
    1. डॉ. विनिता कौशिक – प्रभारी
    2. डॉ. संगीता सिंह
    3. डॉ. सरस्वती अग्रवाल
    4. डॉ. स्मृति जौहरी

12. खेल–कूद समिति –
    1. डॉ. सरस्वती अग्रवाल – प्रभारी
    2. डॉ. जागृति मीणा
    3. डॉ. अन्नू बंशीवाल
    4. श्री विकास जांगिड

प्राचार्य
जा.दे.ब.राजकीय कन्या महाविद्यालय
कोटा

SANJAY BHARGAVA
Digitally signed by SANJAY BHARGAVA
Date: 2023.05.06 12:02:34 +05'30'

S.1.5

47. IT Cell -
1. डॉ. पूनम जायसवाल – प्रभारी
2. डॉ. अन्नू बंशीवाल
3. श्री विकास जांगिड
4. डॉ. सरिता खण्डेलवाल

48. E-content you tube समिति -
1. डॉ. फातिमा सुल्ताना – प्रभारी
2. श्री विकास जांगिड

49. स्मार्ट क्लासेज समिति–
1. डॉ. पूनम जायसवाल – प्रभारी
2. श्रीमती अनीता मालव

50. बायोमेट्रिक समिति–
1. डॉ. विजय देवड़ा – प्रभारी
2. डॉ. पूनम जायसवाल

51. IPR समिति–
1. डॉ. विजय देवड़ा – प्रभारी
2. डॉ. जयश्री डावरे
3. डॉ. अन्नू बंशीवाल
4. श्रीमती अनीता मालव

52. सोशल मिडिया चैम्पियन–
1. डॉ. संगीता सिंह – प्रभारी

53. RUSA Board of Governers –
1. डॉ. रघुराज परिहार सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा
2. श्रीमती मधु खन्ना

Project Monitoring Unit-
1. डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव – समन्वयक
2. डॉ. शुचिता जैन
3. डॉ. आरती शाह
4. डॉ. विजय देवड़ा
5. डॉ. पूनम जायसवाल
6. डॉ. जयश्री डावरे
7. सहायक लेखाधिकारी
8. सहायक अभियन्ता, सार्व.निर्मा.विभाग

54. PFMS समिति–
1. डॉ. विजय देवड़ा – प्रभारी
2. डॉ. पूनम जायसवाल

55. मैगजीन वाग्धारा–
1. डॉ. संगीता सिह प्रभारी
2. डॉ. सरस्वती अग्रवाल

56. आयकर प्रपत्र जाँच समिति–
1. श्रीमती मधु खन्ना – प्रभारी
2. डॉ. अन्नू बंशीवाल
3. सहायक लेखाधिकारी

57. आंतरिक अंकेक्षण समिति–
1. श्रीमती मधु खन्ना – प्रभारी
2. डॉ. अन्नू बंशीवाल

58. अकादमिक ऑडिट कमेटी–
1. डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव – प्रभारी
2. डॉ. विजय देवडा
3. डॉ. पूनम जायसवाल
4. डॉ. जयश्री डावरे

59. यौन उत्पीड़न निवारण समिति–
1. श्रीमती मधु खन्ना – पीठासीन अधिकारी
2. डॉ. फातिमा सुल्ताना
3. डॉ. आरती शाह
4. श्री विकास जांगिड
5. गैर सरकारी संगठन सदस्य–डॉ. एकता धारीवाल,

60. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ–
1. श्रीमती मधु खन्ना – प्रभारी
2. डॉ. फातिमा सुल्ताना

61. एन्टी रेगिंग स्क्वाड–
1. श्रीमती मधु खन्ना – प्रभारी
2. डॉ. शुचिता जैन
3. डॉ. आरती शाह

62. Girls Mentoring Cell-
1. श्रीमती मधु खन्ना – प्रभारी
2. डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव
3. डॉ. फातिमा सुल्ताना
4. डॉ. आरती शाह
5. डॉ. स्मृति जौहरी

63. कम्यूनिटी बुक बैंक समिति–
1. डॉ. जयश्री डावरे – प्रभारी
2. डॉ. मौसमी मीणा
3. डॉ. सरिता खण्डेलवाल

64. सेनेटरी हाईजिन समिति–
1. डॉ. संगीता सिह – प्रभारी
2. डॉ. जागृति मीणा
3. श्रीमती अनीता मालव
4. सुश्री प्रीती बैरवा

65. नवाचार प्रकोष्ठ समिति–
1. डॉ. पूनम जायसवाल प्रभारी
2. डॉ. जयश्री डावरे

प्राचार्य
जा.दे.ब.राजकीय कन्या महाविद्यालय

SANJAY BHARGAVA
Digitally signed by SANJAY BHARGAVA
Date: 2023.05.06 12:02:52 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938
No. 171] NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

मि. सं. 91–1/2013 (टी. एफ. जी. एस.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जिसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20 के उप–अनुच्छेद (1) से संयुक्त रुप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 26 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है, नामतः :–

1. **लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भः–** (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **(उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार)** विनियम, 2015 कहलाएगे।

   (2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।

   (3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएँगे।

2. **परिभाषाएँः–** इन विनियमों में–बशर्ते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरुरी है:–

(अ) "पीड़ित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला–चाहे वह रोज़गार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है;

(ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);

(स) "परिसर" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैन्टीन, बैंक पटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दौरा किया जाता हो–जिस में यह परियहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु

SANJAY BHARGAVA Digitally signed by SANJAY BHARGAVA Date: 2023.05.06 12:03:08 +05'30'

(ड़) शारीरिक रूप से संबंध बनाना अथवा पास बने रहने की कोशिश करना

(ई) अश्लील साहित्य दिखाना

(ii) निम्न परिस्थितियों में से किसी एक में (अथवा इससे अधिक एक या सभी में) यदि ऐसा पाया जाता है अथवा वह ऐसे किसी बर्ताव के बारे में है या उससे संबंधित है जिसमें व्यापक रूप से या छिपे रूप में लैंगिक संकेत छिपे हैं–

(अ) छिपे तौर से या प्रत्यक्ष रूप से अधिमान्य व्यवहार देने का वायदा जो लैंगिक समर्थन के एवज में हैं;

(ब) कार्य के निष्पादन में छिपे रूप से या सीधे तौर से रुकावट डालने की धमकी;

(स) संबद्ध व्यक्ति के वर्तमान अथवा उसके भविष्य के प्रति छिपे तौर से या सीधे तौर से धमकी देकर;

(द) एक दहशत भरा हिंसात्मक या द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करके;

(ई) ऐसा व्यवहार करना जो कि संबद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य उसकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा उसकी शारीरिक दृढ़ता को दुष्प्रभावित करने वाला है;

(एल) "छात्र" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति के लिए है जिसे विधिवत प्रवेश मिला हुआ है, जो नियमित रूप से या दूर शिक्षा विधि से एक उच्च शिक्षा संस्थान में, एक अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है जिसमें लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल है:

बशर्ते, ऐसे किसी छात्र के साथ यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है जो उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में है– यद्यपि वह प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है तो इन विनियमों के आधार पर उस छात्र को उच्च शिक्षा संस्थान का छात्र माना जाएगा:

बशर्ते एक ऐसा छात्र जो किसी उच्चतर शैक्षिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त है तथा उस संस्थान में भागीदार है और उस छात्र के प्रति कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसे उस उच्च संस्थान का छात्र माना जाएगा;

(एम) "किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न" उस स्थिति को दर्शाता है जब लैंगिक उत्पीड़न की घटना किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी बाहर के आदमी द्वारा की गई हो जो ना तो उस उच्च शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी अथवा उसका छात्र है–बल्कि उस संस्थान में एक आगन्तुक है जो अपने अन्य किसी काम या उद्देश्य से आया हुआ है;

(एन) "उत्पीड़न" का अर्थ है किसी व्यक्ति से नकारात्मक व्यवहार जिसमें छिपे तौर से या सीधे तौर से लैंगिक दुर्भावना की नीयत छिपी होती है;

(ओ) "कार्यस्थल" का अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान का परिसर जिसमें शामिल हैं:

(अ) कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्योग, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा एकांश जो उपयुक्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा पूरी तरह अथवा पर्याप्त रूप से उपलब्ध निधि द्वारा सीधे तौर से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, स्वामित्व वाले या उससे नियन्त्रित है;

(ब) ऐसा कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेलकूद क्षेत्र चाहे वह आवासीय है या नहीं या उसे उच्चतर शैक्षिक संस्थान की प्रशिक्षण, खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(स) ऐसा कोई स्थान जिसमें कर्मचारी अथवा छात्र अपने रोजगार के दौरान या अध्ययन के दौरान आते रहते हैं तथा जिस गतिविधि में यातायात शामिल है जिसे कार्यकारी प्राधिकारी ने ऐसे भ्रमण के लिए उपलब्ध कराया है जो उस उच्च शैक्षिक संस्थान में अध्ययन के लिए हैं।

3. उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के दायित्व–(1) प्रत्येक उच्चतर शैक्षिक संस्थान)

(अ) कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं निषेध संबंधी अपनी नीति एवं विनियमों में उपरोक्त परिभाषाओं की भावना को यथा आवश्यक उपयुक्त रूप में सम्मिलित करें तथा इन विनियमों की आवश्यकता अनुसार अपने अध्यादेशों एवं नियमों को संशोधित करना;

(ब) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अधिसूचित करना तथा उनके विस्तृत प्रचार–प्रसार को सुनिश्चित करना;

SANJAY BHARGAVA Digitally signed by SANJAY BHARGAVA Date: 2023.05.06 12:03:26 +05'30'

संस्थान पर, अध्ययनों, अध्ययन भ्रमण, सैर–सपाटे के लिए, लघु–अवधि वाली नियुक्तियों के लिए, शिविरों के लिए उपयोग किए जा रहे स्थानों, सांस्कृतिक समारोहों, खेलकूद आयोजनों एवं ऐसी ही अन्य गतिविधियों जिनमें कोई व्यक्ति एक कर्मचारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान के एक छात्र के रुप में भाग ले रहा है–यह समस्त उस परिसर में सम्मिलित हैं;

(डी) "आयोग" का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्थापित हैं;

(ई) "आवृत्त व्यक्तियों" से अर्थ उन व्यक्तियों से है जो एक सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत है जैसे कि किसी लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत को दायर करना–अथवा वे ऐसे किसी व्यक्ति से घनिष्ठ रुप से सम्बद्ध हैं जो सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत है तथा ऐसा व्यक्ति एक कर्मचारी हो सकता है अथवा उस पीड़ित व्यक्ति का एक कर्मचारी हो सकता है अथवा एक साथी छात्र अथवा अभिभावक हो सकता है;

(एफ) "कर्मचारी" का अर्थ, उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है तथा इसमें इन विनियमों की दृष्टि से प्रशिक्षार्थी, शिक्षार्थी अथवा वे अन्य जिस नाम से भी जाने जाते हैं। आन्तरिक अध्ययन में लगे छात्र, स्वयंसेवक, अध्यापन–सहायक शोध–सहायक चाहे वे रोजगार में है अथवा नहीं, तथा क्षेत्रीय अध्ययन में, परियोजनाओं लघु–स्तर के भ्रमण अथवा शिविरों में कार्यरत व्यक्तियों से है;

(जी) "कार्यकारी प्राधिकारी" से अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान के प्रमुख कार्यकारी प्राधिकारी, चाहे जिस नाम से ये जाने जाते हों– तथा जिस संस्थान में उच्चतर शैक्षिक संस्थान का सामान्य प्रशासन सम्मिलित है। सार्वजनिक रूप से निधि प्राप्त संस्थानों के लिए, कार्यकारी प्राधिकारी से अर्थ है अनुशासनात्मक प्राधिकारी जैसा कि केन्द्रीय नागरिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम तथा इसके समतुल्य नियमों में दर्शाया गया है;

(एच) "उच्चतर शैक्षिक संस्थान" (एचई.आई.) से अर्थ है–एक विश्वविद्यालय जो अनुच्छेद 2 की धारा (जे) के अन्तर्गत अर्थो के अनुसार है, ऐसा एक महाविद्यालय जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप–अनुच्छेद (1) की धारा (बी) के अर्थ के अनुसार है तथा एक ऐसा संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत है;

(आई) "आन्तरिक शिकायत समिति" (आई.सी.सी.) (इन्टरनल कम्प्लेन्ट्स कमिटि) से अर्थ है इन विनियमों के विनियम 4 के उप–विनियम (1) के अर्थ के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा गठित की जाने वाली आन्तरिक शिकायत समिति से है। यदि पहले से ही समान उद्देश्य वाला कोई निकाय सक्रिय है, (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विवाद देखेगी (जी.एस.सी.ए.एस.एच.) ऐसे निकाय को आन्तरिक शिकयत समिति (आइसीसी) के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए;

बशर्ते, बाद वाले मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसा सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत केन्द्र के लिए ऐसे एक निकाय का गठन आवश्यक है। बशर्ते कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा बाध्य होगा;

(जे) "संरक्षित गतिविधि" में ऐसी एक परम्परा, के प्रति तर्कपूर्ण विरोध शामिल है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपनी तरफ से अथवा कुछ दूसरे लोगों की तरफ से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कानूनों का उल्लंघन उस परम्परा के माध्यम से किया जा रहा है– जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों की कार्रवाई में भागीदारी करना, किसी भी आन्तरिक जांच पड़ताल में अथवा कथित लैंगिक उत्पीड़न कामों में सहयोग करना अथवा किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा की जा रही जाँच पड़ताल में अथवा किसी मुकदमें में बतौर गवाह मौजूद रहना;

(के) **"लैंगिक उत्पीड़न" का अर्थ है–**

(i) ऐसा एक अनचाहा आचरण जिसमें छिपे रूप में लैंगिक भावनाएँ जो प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं अथवा जो भावनाएँ अत्यन्त मजबूत होती, नीचतायुक्त होती हैं, अपमानजनक होती हैं अथवा एक प्रतिकूल और धमकी भरा वातावरण पैदा करती हैं अथवा वास्तविक अथवा धमकी भरे परिणामों द्वारा अधीनता की ओर प्रेरित करने वाली होती हैं तथा ऐसी भावनाओं में निम्नलिखित अवांछित काम या व्यवहारों में कोई भी एक या उससे अधिक या ये समस्त व्यवहार शामिल हैं (चाहे सीधे तौर से या छिपे तौर से) नामतः–

(अ) लैंगिक भावना से युक्त कोई भी अप्रिय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक के अतिरिक्त कोई आचरण

(ब) लैंगिक अनुग्रह या अनुरोध करना

(स) लैंगिकतायुक्त टिप्पणी करना

SANJAY BHARGAVA Digitally signed by SANJAY BHARGAVA Date: 2023.05.06 12:04:18 +05'30'

ANTI RAGGING

Ragging is a disturbing reality in the higher education system of our country. Despite the fact that over the years ragging has claimed hundreds of innocent lives and has ruined careers of thousands of bright students, the practice is still perceived by many as a way of 'familiarization' and an 'initiation into the real world' for young college-going students.

Other organisations/bodies working in this field have also attempted to define ragging, the variety of definitions being reflective of differences in perspective.

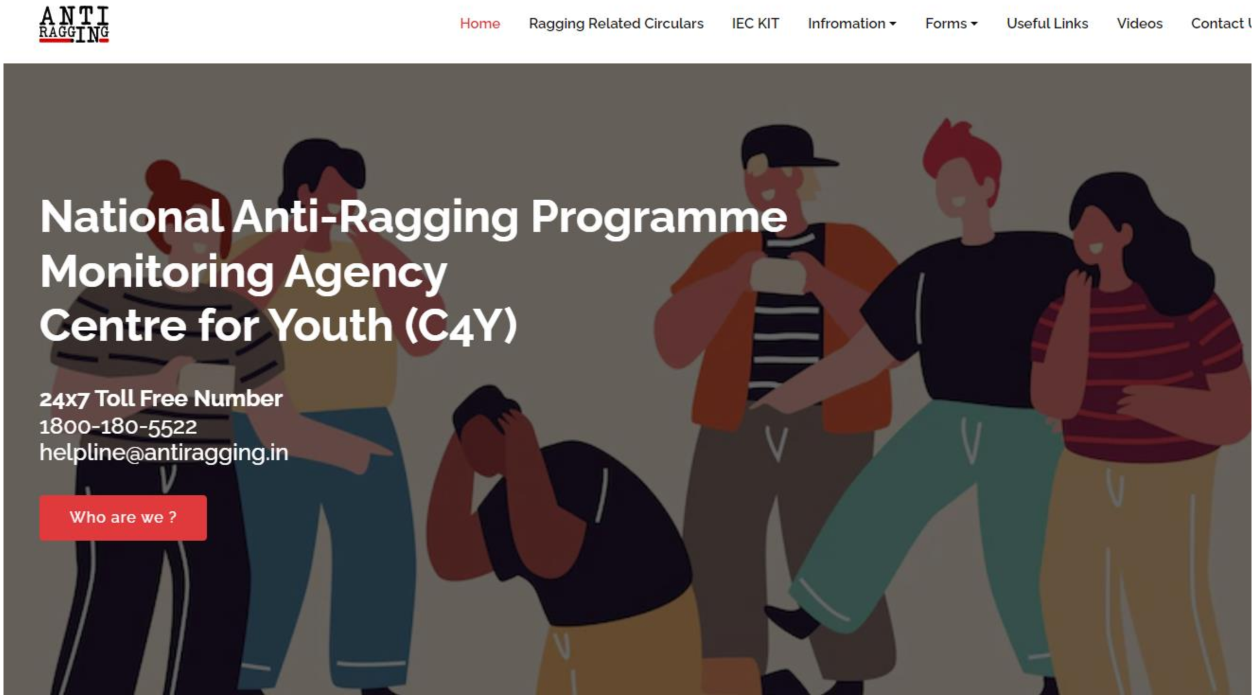

SANJAY BHARGAVA Digitally signed by SANJAY BHARGAVA Date: 2023.05.06 12:04:34 +05'30'

ANNEXURE I

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, ______ *(full name of student with admission/registration/enrolment number)* s/o d/o Mr./Mrs./Ms. ______________________, having been admitted to ____________ *(name of the institution)* ______________, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

   a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

   b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ___day of _________ month of ______year.

____

Signature of deponent

Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at *(place)* on this the *(day)* of *(month)*, *(year)*.

____

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the *(day)* of *(month)*, *(year)* after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

SANJAY BHARGAVA Digitally signed by SANJAY BHARGAVA Date: 2023.05.06 12:04:48 +05'30'

ANNEXURE II

AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. ____ *(full name of parent/guardian)* father/mother/guardian of , *____(full name of student with admission/registration/enrolment number)_______* , having been admitted to *____(name of the institution)________________*, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this ___day of __________ month of ______year.

____

Signature of deponent
Name:
Address:
Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.
Verified at__*(place)*__on this the _*(day)*__ of __*(month)*_, _*(year)*__.

____

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the _*(day)*__ of __*(month)*_, _*(year)*__ after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI, 2009

SANJAY BHARGAVA
Digitally signed by SANJAY BHARGAVA
Date: 2023.05.06 12:05:01 +05'30'

UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN

BAHADURSHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI – 110 002

UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009.

(Under Section 26 (1) (g) of the University Grants Commission Act, 1956)

Dated June, 2009.

PREAMBLE.

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of" University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SLP no. 24295 of2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009,and in consideration of the determination of the Central Government and the University Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the University Grants Commission, in consultation with the Councils, brings forth this Regulation.

In exercise of the powers conferred by Clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely;

1. Title, commencement and applicability.-

1.1 These regulations shall be called the "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009".

SANJAY BHARGAVA Digitally signed by SANJAY BHARGAVA Date: 2023.05.06 12:05:15 +05'30'

1.2 They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 They shall apply to all the institutions coming within the definition of an University under sub-section (f) of section (2) of the University Grants Commission Act, 1956, and to all institutions deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, to all other higher educational institutions, or elements of such universities or institutions, including its departments, constituent units and all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such universities, deemed universities and higher educational institutions, whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such universities, deemed universities and higher educational institutions.

2. Objectives.-

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting it

3 Under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3. **What constitutes Ragging.-?**

a. Ragging constitutes one or more of any of the following acts: a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;

b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;

c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;

SANJAY BHARGAVA
Digitally signed by SANJAY BHARGAVA
Date: 2023.05.06 12:05:34 +05'30'